


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या ..356/2014जिला.....बासवाड़ा

उनवान – मैसर्स कुशलगढ़ गैस सर्विस कुशलगढ़, बासवाड़ा बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट द्वितीय, वृत्त बासवाड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.02.2017	<p style="text-align: center;"><u>एकलपीठ</u> <u>श्री राजीव चौधरी –सदस्य</u></p> <p>अपीलार्थी के अभिभाषक श्री रतनपाल जैन द्वारा उक्त अपील विद्झा करने के संबंध में हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो दिनांक 7.2.2017 को प्राप्त हुआ, जो पत्रावली पर उपलब्ध है। जिसमें अपीलार्थी ने निवेदन किया कि राजस्थान सरकार द्वारा प्रसारित एमेनेस्टी स्कीम, 2016 का लाभ प्राप्त करना चाहता है। अपीलार्थी यह अपील आगे नहीं चलाना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उपरोक्त अपील जरिये विद्झा खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।</p> <p>विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक श्री आर.के. अजमेरा ने प्रस्तुत निगरानी को विद्झा करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की है।</p> <p>फलस्वरूप पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र के आधार पर हस्तगत निगरानी विद्झा करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रस्तुत अपील संख्या 356/2014/बासवाड़ा जरिये विद्झावल (Withdrawl) खारिज की जाती हैं।</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">  (राजीव चौधरी) सदस्य </p>	